

उपायुक्त का कार्यालय, लोहरदगा

प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का न्यायालय (सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

अपील वाद संख्या 05/2018


भैया सुरेन्द्र नाथ शाह

बनाम

जन सूचना पदाधिकारी

-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता


लोहरदगा ।

आदेश क्र०/तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
09.10.18	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह अभिलेख सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत भैया सुरेन्द्र नाथ शाह, ग्राम-हरमू रोड नदिया, लोहरदगा, पो० -हरमू थाना-लोहरदगा, जिला लोहरदगा के अपील के आधार पर यह अभिलेख संधारित किया गया है ।</p> <p>अपीलकर्ता के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6) के तहत जन सूचना पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता, लोहरदगा से दिनांक 18.08.2018 को सूचना मांगी गई है जिसे उपलब्ध नहीं कराये जाने पर इनके द्वारा अपील दायर किया गया है ।</p> <p>सुनवाई के क्रम में जन सूचना पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता, लोहरदगा के ज्ञापांक 501, दिनांक 26.09.2018 के द्वारा अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करा दिया गया है। अपीलकर्ता द्वारा बताया गया कि उन्हें सूचना प्राप्त हो गया है। जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">  प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, (सूचना का अधिकार अधिनियम) </p>	

ज्ञापांक :- 1415

दिनांक :- 9/10/2018

प्रतिलिपि :- भैया सुरेन्द्र नाथ शाह, ग्राम-हरमू रोड नदिया, लोहरदगा, पो० -हरमू थाना-लोहरदगा, जिला लोहरदगा को सूचनार्थ प्रेषित ।



प्रथम अपीलीय पदाधिकारी,
(सूचना का अधिकार अधिनियम)